योजना की स्वीकृति

- योजना के तहत पात्र ऋणदाता संस्था के पक्ष में गारंटी स्वीकृत करने से पूर्व, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) द्वारा प्रस्ताव की बारीकी से जांच की जाएगी।
- निवेश एवं दावा निपटारा समिति (आई एंड सी एस सी) संबंधित बैंक के पक्ष में गारंटी स्वीकृत करेगी।

SFAC
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
एनसीयूआई ऑडिटोरियम बिल्डिंग, 5वीं मंजिल,
3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हॉज खास, नई दिल्ली-110016
फोनः +91-11-41686767
ईमेलः sfac@nic.in | वेबसाइटः www.sfacindia.com

किसान उत्पादक कंपनी के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) योजना

क्या है ऋण गारंटी निधि

- ऋण गारंटी निधि एक केंद्रीय योजना है।
- यह योजना पात्र ऋणदाता संस्थाओं को ऋण गारंटी की रकम उपलब्ध कराती है।
- ऋण प्रदाता द्वारा उत्पादक कंपनी को दिये गये ऋण की जमानत दी जाती है।
- इस योजना का संचालन लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा किया जाता है।

SFAC
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

ऋण गारंटी निधि के उद्देश्य

- ऋण गारंटी निधि का गठन पात्र ऋणदाता संस्थाओं को ऋण गारंटी रकम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।
- इसके तहत ऋणदाता संस्था बिना जमानत, किसान उत्पादक कंपनियों को 100 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान कर सकेंगे।
- यह योजना ऋण प्रदान करने के उनके जोखिम को कम कर करेगी।

योजना हेतु किसान-उत्पादक कंपनियों के लिए पात्रता के मापदंड

- किसान - उत्पादक कंपनी का विधिवत रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- संस्था के अंतर्नियमों / उप नियमों में दिए प्रावधानों के अनुसार सदस्यों से शेयर पूंजी जुटायी गई हो।
- इसके व्यक्तिगत शेयर धारकों की संख्या 500 से कम नहीं होनी चाहिए।
- न्यूनतम 33 प्रतिशत शेयर धारकों की संख्या 500 से कम नहीं होनी चाहिए।
- संस्थानिक सदस्य से भिन्न किसी एक सदस्य द्वारा धारित शेयरों की अधिकतम संख्या किसान - उत्पादक कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निदेशक मंडल (बी ओ डी) में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा।
- विधिवत निर्वाचित एक प्रबंध समिति का होना आवश्यक है।
- अगले 18 महीनों के लिए एक कारोबार योजना एवं बजट आवश्यक है।

गारंटी की रकम के लिए कैसे करें आवेदन

पात्र ऋणदाता संस्था अगली तिमाही के समाप्त होने से पूर्ण स्वयं द्वारा स्वीकृत ऋण प्रस्ताव को गारंटी की रकम हेतु लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के पास आवेदन कर सकेगी।

ऋण गारंटी प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

- पात्र ऋणदाता संस्था 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम दो बार किसी एक किसान - उत्पादक कंपनी हेतु स्वीकृत ऋण सुविधा के लिए गारंटी की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
- गारंटी की अधिकतम रकम स्वीकृत ऋण सुविधा का 85 प्रतिशत या 85 लाख रूपए तक सीमित होगी।
- चूक के मामले में 85 फीसदी तक दावे का निपटारा किया जाएगा।
- पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ करार करने के बाद ही गारंटी की रकम मंजूर की जाएगी।
- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तो के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।